न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 69/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री धनेश्वर दयाल माथुर पुत्र श्री रामेश्वर दयाल माथुर मैसर्स गुलाटी एन्टरप्राईजेज, सायरोली बाजार, नसीराबाद।
2. श्री अनिल गुलाटी पुत्र श्री नरेन्द्र गुलाटी, प्रोपेराइटर मैसर्स– गुलाटी एन्टरप्राईजेज, सायरोली बाजार, नसीराबाद।
3. मैसर्स गुलाटी एन्टरप्राईजेज, सायरोली बाजार, नसीराबाद।
4. Gireesha Neema (Nomini) M/S ITC Limited Office no 201 durlabh chambers D-24 Prithviraj Road, C-Scheme Jaipur.
5. M/S ITC Limited Office no 201 durlabh chambers D-24 Prithviraj Road, C-Scheme Jaipur.

.....*अप्रार्थीगण*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (।।) एवं धारा 51 व 52 के तहत

उपस्थित :– 1. श्री सुनील पारीक, वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से।
2. श्री शिवांग्शु नवल, वकील अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक– 07.09.2017

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थीगण ने सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड पास्ता (प्रोप्राईटरी फूड) Yippee Brand विकय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (।) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 52 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5 ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 09.06.2015 को 03.30 पी.एम. खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स गुलाटी एन्टरप्राईजेज, सायरोली बाजार, नसीराबाद पर पहूँचे श्री धनेश्वर दयाल माथुर पुत्र श्री रामेश्वर दयाल माथुर मौके पर उपस्थित मिले जो आम जनता को पास्ता (प्रोप्राईटरी फूड) Yippee Brand का विक्रय कर रहे थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान पास्ता (प्रोप्राईटरी फूड) Yippee Brand में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 32 पैकिट (70 ग्राम X 32) पास्ता (प्रोप्राईटरी फूड) Yippee Brand वास्ते नमूना जॉच हेतु 576/– रूपयें श्री धनेश्वर दयाल माथुर को नगद देकर गवाह श्री प्रेमचन्द शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री धनेश्वर दयाल माथुर को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करके खरीदशुदा पास्ता (प्रोप्राईटरी फूड) Yippee Brand के प्रत्येक पैकिट को अलग–अलग भूरे कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डीओ अजमेर के हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चिपका कर लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए/1077 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी से सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र कमांक एफएसएसए 2015/9185 दिनांक 08.08.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/501/एक्ट/2015/508 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया पास्ता (प्रोप्राईटरी फूड) Yippee Brand सबस्टेण्डर्ड एवं मिसबाण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 03.06.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 03.06.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 15.07.16 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 15.07.16 को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 एवं दिनांक 20.01.17 को अप्रार्थी संख्या 4 व 5 जरिये वकील उपस्थित हुए। वकील अप्रार्थीगण की ओर से जवाब नोटिस पेश होने पर पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। बहस हेतु निश्चित दिन वकील अप्रार्थीगण उपस्थित हुए, उन्हे सुना गया। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। वकील अप्रार्थीगण ने उन पर लगाये गये आरोपो को सिरे से खारिज करते हुए जवाब नोटिस में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तर्क स्पष्टतः दुर्नियोजित, गलत, भ्रामक एवं सारहीन है। उनका कथन है कि मैसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड विश्वसनीय विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति किये गये कच्चे माल के साथ पिछले 6 वर्षों से सनफिस्ट यिप्पी पास्ता को नियमित रूप से परीक्षण और अंशाकन राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशाला (एन.ए.बी.एल.) एवं

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

अधिकृत जीवन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एल.एस.टी.सी.) के आईटीसी के राज्य स्तर पर परीक्षण किया जाता है। इन सभी परीक्षणों में सनफिस्ट यिप्पी पास्ता मय बैच जिसमें से नमूने अधिकारियों द्वारा कथित रूप से लिये गये थे, वे सभी खाद्य सुरक्षा मानकों, नियमों एवं अधिनियमों के अनुरूप पाये गये। उनका आगे कथन है कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(3) में दिये गये प्रावधानानुसार ''खाद्य विश्लेषक द्वारा यह आवश्यक है कि वह विश्लेषण के लिये किसी नमूने की प्राप्ति की तिथि से 14 दिनों की अवधि में सैम्पलिंग एवं विश्लेषण का तरीका दर्शाते हुए रिपोर्ट की चार प्रतियां प्रस्तुत करे किन्तु वर्तमान प्रकरण में विश्लेषण के लिए खाद्य अधिकारी द्वारा दिनांक 10.06.2015 को नमूना प्राप्त किया गया था जो कि पत्रावली के साथ संलग्न रसीद से स्पष्ट है, लेकिन रिपोर्ट 45 दिनों की लम्बी अवधि के पश्चात् दिनांक 31.07.2015 को प्रस्तुत की गई। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक द्वारा 2 माह के असंगत एवं अनुचित विलम्ब के आधार पर ही प्रकरण खारिज योग्य है। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि जिस प्रयोगशाला में खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूने का विश्लेषण किया गया है वह राज्य केन्द्रीय लोक प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान है, जबकि खाद्य विश्लेषक केवल उन्हीं प्रयोगशालाओं में खाद्य नमूनें का विश्लेषण कर सकता है जो कि एन.ए.बी.एल. द्वारा अधिकृत होने के साथ ही खाद्य प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त हो। जैसा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(पी) में परिभाषित किया गया है कि ''खाद्य प्रयोगशाला का आशय केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा कोई अन्य एजेन्सी द्वारा संस्थापित की गई कोई प्रयोगशालाा अथवा संस्थान और परीक्षण और अंशाकन राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशाला द्वारा अधिकृत किया गया हो अथवा धारा 43 के अधीन खाद्य अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त एवं समकक्ष प्रमाणन ऐजेन्सी।'' इस संबंध में उन्होंने हमारा ध्यान डब्ल्यू.पी.एल./1688/2015 पर बोम्बे उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित करते हुए आगे कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में पास्ता मय मसाला मिक्स का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3 (1)(जेड.एफ.)(सी)(आई) के अन्तर्गत मिसब्राण्ड खाद्य है किन्तु उनके द्वारा उक्त उत्पाद को रेकार्ड में बिना कोई ठोस कारण दर्शाये कि उन्होंने क्यों नमूने को मिथ्या छाप वाला माना है उक्त निर्णय पूर्णतया तथ्यों एवं कानून के विरूद्व होने से प्रकरण निरस्त योग्य है। उन्होंने यह भी कथन किया कि डाई पैनी एवं मसाला मिक्स एक बन्द रिटेल पैकेज में एक ईकाई के रूप में एक साथ विक्रय किये जाते है यह पैकेज खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेवलिंग अधिनियम 2011 के अन्तर्गत अपेक्षितानुसार सभी आवश्यक घोषणा धारण करता है। मसाला मिक्स पाउच उक्त बंद रिटेल पैकेज का एक भाग है और यह स्पष्ट घोषणा करता है कि यह अलग–अलग विक्रय हेतु नहीं है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेवलिंग रूल्स 2011 के नियम 2.2.1 एवं 2.2.2 की अपेक्षाएं केवल ''प्री पैक्ड फूड'' के संबंध में है। प्री पैक्ड फूड की परिभाषा है कि '' खाद्य जिसे किसी भी प्रकृति के पैकेज में इस प्रकार से रखा जाता है कि इसे बिना फाडे इसके तत्व परिवर्तित नहीं किये जा सकते है और जो कि उपभोक्ता हेतु विक्रय के लिये तैयार है।'' इससे स्पष्ट है कि मसाला मिक्स बाहरी पैक के बिना विक्रय के लिये नहीं है। अतः यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेवलिंग रूल्स 2011 के नियम 2.2.1 एवं 2.2.4 एवं 7 का उल्लघंन नहीं है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि सनफिस्ट यिप्पी पास्ता धारा 3(1)(जेड.एफ.)(सी)(आई) के साथ पूर्ण अनुपालना में निर्मित किये गये है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही ड्रॉप की जावे। परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथन आधारहीन एवं बेबुनियाद है। वरवक्त निरीक्षण अप्रार्थीगण घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं थे तथा न ही परिवादी द्वारा उनसे किसी

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner

भी खाद्य पदार्थ को वास्ते जांच लिया गया। उन्होंने कथन किया कि पत्रावली में न तो उनकी कहीं उपस्थिति दर्ज है न ही उनके हस्ताक्षर अंकित है बल्कि समस्त कार्यवाही श्री धनेश्वर दयाल माथुर की उपस्थिति में की गई है। अतः परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर कार्यवाही ड्रॉप की जावें।

हमने वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन करने के साथ ही न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ एवं चूरू के आदेश दिनांक 28.12.2015, 4.10.2016 एवं 08.11.2016 का भी अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाद्य विश्लेषक ने अपनी जांच रिपोर्ट में नमूना किस कारण से सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड हुआ है, इसका जांच रिपोर्ट में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, इस कारण केवल खाद्य विश्लेषक के लिख देने मात्र से अप्रार्थीगण के विरूद्व सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड का प्रकरण बनना नहीं पाया जाता है। परिवाद में वर्णित तथ्यों में परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कही भीं सबस्टेण्डर्ड एवं मिसब्राण्ड क्या है एवं किस कारण से है इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा न ही खाद्य विश्लेषक द्वारा भी कोई स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वरवक्त बहस उपस्थित नहीं रहने के कारण राज्य सरकार की ओर से पक्ष नहीं रखा जा सका है।

अतः उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत जबकि प्रार्थी स्वयं अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को औचित्यपूर्ण व तथ्यात्मक रूप से अधिनियम के प्रावधानानुसार सिद्व करने में असफल रहे है, इस प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब भी वह न्यायालय हाजा में प्रकरण प्रस्तुत करे तब प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी लेकर प्रस्तुत करें तथा वरवक्त बहस न्यायालय में उपस्थित रहकर सरकार की ओर से पैरवी करें। अन्यथा उनके विरूद्व नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने हेतु लिखा जावेगा। इसके साथ ही अप्रार्थीगण को भी निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में उन्हें डाई पैनी एवं मसाला मिक्स के पाउच पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक पैकेजिंग एवं लेवलिंग अधिनियम 2011 की पालना में घोषणा अंकित करे ताकि उपभोक्ता के हित की रक्षा हो सके एवं उपभोक्ता को ज्ञान हो कि वे क्या खा रहे है। आदेशों की पालना सख्ती से की जावे।

आदेश आज दिनांक 07.09.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

(किशोर कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2017/ दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।

2– अभिहित अधिकारी एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर

3– Gireesha Neema (Nomini) M/S ITC Limited Office no 201 durlabh chambers D-24 Prithviraj Road, C-Scheme Jaipur.

4– श्री धनेश्वर दयाल पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर दयाल माथुर, मैसर्स गुलाटी एन्टरप्राईजेज, सायरोली बाजार, नसीराबाद, जिला अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

Scanned by CamScanner